

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 19/2022

अनवान : -



1. रामगोपाल पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी भोजासर त० भादरा।

-प्रार्थी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी भोजासर त० भादरा।
2. बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भोजासर त० भादरा।
3. अमरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भोजासर त० भादरा।
4. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट

उपस्थिति :- श्री विनोद सिंगाढिया प्रार्थीगण
श्री सुरेन्द्र गढ़वाल अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 08/7/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता सं० 151/125 के मु०न० 59 के किला न० 12/1,13,18, 19/1, मु०न० 70 के किला न० 12, 13, 14/1, 17/1, 18, 19, 22, 23, 24/1 की कुल 2.417 है० बारानी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं० 148/122 के मु०न० 59 के किला न० 11, 12, 19/1, 20, मु०न० 60 के किला न० 12/1, 13 ता 18, 19/1, की कुल 2.405 है० बारानी खातेदारी अप्रार्थी सं० 1 रामकुमार के नाम व चक 6 बारानी के खाता सं० 87/75 के मु०न० 59 के किला न० 21, 22 मु०न० 60 के किला न० 1, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, मु०न० 61 के किला न० 13, 14, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, मु०न० 70 के किला न० 4 ता 6, मु०न० 71 के किला न० 1, 2, 9, 10 की कुल 5.034 है० अप्रार्थी सं० 2 बनवारी के नाम व इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं० 3/4 के मु०न० 60 के किला न० 21, 22, 23 मु०न० 61 के किला न० 16/1, 17, 18, 23 ता 25 मु०न० 69 के किला न० 4 ता 7 मु०न० 70 के किला न० 1 ता 3, 7 ता 10 की कुल 4.9330 है० अप्रार्थी सं० 3 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में जाने के लिए 6 बारानी के मु०न० 59 के किला न० 19/1 में 0.006 है० किला न० 20 में 0.013 है० मु०न० 60 के किला न० 16 में 0.013 है० किला न० 17 में 0.013 है० किला न० 18 में 0.013 है० किला न० 19/1 में 0.002 है० किला न० 19 में 0.004 है० किला न० 20 में 0.006 है० किला न० 21 में 0.007 है० किला न०

22 में 0.006है0 में पूर्व से पश्चिम तरफ रास्ता व मु0न0 60 के किला न0 23 में 0.003है0 उतर से दक्षिण तरफ रास्ता का उपयोग करते है जो सदामद से चला आ रहा है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता का अंकन नहीं है। उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उपर वर्णित वाद भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा 6 बारानी के मु0न0 59 के किला न0 19/1 में 0.006है0 किला न0 20 में 0.013है0 मु0न0 60 के किला न0 16 में 0.013है0 किला न0 17 में 0.013है0 किला न0 18 में 0.013है0 किला न0 19/1 में 0.002है0 किला न0 19 में 0.004है0 किला न0 20 में 0.006है0 किला न0 21 में 0.007है0 किला न0 22 में 0.006है0 में पूर्व से पश्चिम तरफ रास्ता व मु0न0 60 के किला न0 23 में 0.003है0 उतर से दक्षिण तरफ रास्ता का उपयोग करते है जो सदामद से चला आ रहा है, उक्त रास्ता के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद बाबत प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया है जिसके मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकार का लेन-देन व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि का आदान-प्रदान नहीं हुआ है और ना ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण इस प्रकार से आदान-प्रदान करना चाहते है जिसे राजीनामा में स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता सं0 151/125 के मु0न0 59 के किला न0 12/1,13,18, 19/1, मु0न0 70 के किला न0 12, 13, 14/1, 17/1, 18, 19, 22, 23, 24/1 की कुल 2.417है0 बारानी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 148/122 के मु0न0 59 के किला न0 11, 12, 19/1, 20, मु0न0 60 के किला न0 12/1, 13 ता 18, 19/1, की कुल 2.405है0 बारानी खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 रामकुमार के नाम व चक 6 बारानी के खाता सं0 87/75 के मु0न0 59 के किला न0 21, 22 मु0न0 60 के किला न0 1, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25, मु0न0 61 के किला न0 13, 14, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, मु0न0 70 के किला न0 4 ता 6, मु0न0 71 के किला न0 1, 2, 9, 10 की कुल 5.034है0 अप्रार्थी सं0 2 बनवारी के नाम व इसी प्रकार चक 6 बारानी के खाता सं0 3/4 के मु0न0 60 के किला न0 21, 22, 23 मु0न0 61 के किला न0 16/1, 17/1, 18, 23 ता 25 मु0न0 69 के किला न0 4 ता 7 मु0न0 70 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 10 की कुल 4.9330है0 अप्रार्थी सं0 3 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज

अपखण्डाधिकारी (राजस्व) 17/10/20
भादरा (जिला-हरदोय)

है। उक्त खातेदारी में आवागमन के लिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा 6 बारानी के मु0न0 59 के किला न0 19/1 में 0.006है0 किला न0 20 में 0.013है0 मु0न0 60 के किला न0 16 में 0.013है0 किला न0 17 में 0.013है0 किला न0 18 में 0.013है0 किला न0 19/1 में 0.002है0 किला न0 19 में 0.004है0 किला न0 20 में 0.006है0 किला न0 21 में 0.007है0 किला न0 22 में 0.006है0 में पूर्व से पश्चिम तरफ रास्ता व मु0न0 60 के किला न0 23 में 0.003है0 उतर से दक्षिण तरफ रास्ता का उपयोग करते है जो सदामद से चला आ रहा है, उक्त रास्ता के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद बाबत प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया है जिसके मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकार का लेन-देन व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि का आदान-प्रदान नहीं हुआ है और ना ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण इस प्रकार से आदान-प्रदान करना चाहते है जिसे राजीनामा में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 6 बारानी के मु0न0 59 के किला न0 19/1 में 0.006है0 किला न0 20 में 0.013है0 मु0न0 60 के किला न0 16 में 0.013है0 किला न0 17 में 0.013है0 किला न0 18 में 0.013है0 किला न0 19/1 में 0.002है0 किला न0 19 में 0.004है0 किला न0 20 में 0.006है0 किला न0 21 में 0.007है0 किला न0 22 में 0.006है0 में पूर्व से पश्चिमी तरफ रास्ता व मु0न0 60 के किला न0 23 में 0.003है0 उतर से दक्षिण तरफ रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक ०९/०५/२०२० को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
भादरा जिला-हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़